(6)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 06/2017/अपील

उनवान

1. मांगीलाल पि. दुर्गालाल जाति कुल्मी नि. मुण्डला तहसील रायपुर
2. मुकेश कुमार पि. दुर्गालाल जाति कुल्मी नि. मुण्डला तहसील रायपुर

— अपीलांटस

बनाम

1. कृष्णाबाई पत्नि मुकेश कुमार पुत्री कन्हैयालाल जाति कुल्मी नि. मुण्डला तहसील रायपुर
2. सरपंच ग्राम पंचायत दीवलखेडा पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल

— रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 21.03.2017

नामा0सं. 1121 ग्राम पंचायत दीवलखेडा

उपस्थित – वकील अपीलांटस – श्री पूरीलाल राठौर

वकील रेस्पोडेन्टस – श्री नीलकमल त्रिवेदी

आदेश दिनांक : 15/09/2022

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत सोलरी द्वारा निर्णित नामा.सं. 1121 दिनांक 21.03.2017 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मुडला की आराजी में से ख.नं. 18, 223, 224, 234, 463, 467, 511, 514, 515, 699, 700, 734, 955/222 कुल खसरा किता 13 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा भूमि में धापूबाई का नाम शंकरलाल की पुत्री होना मानकर उसका नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज कर दिया ततपश्चात धापूबाई की मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत दीवलखेडा द्वारा नामा.सं. 1121 दिनांक 21.03.2017 प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। उक्त वादग्रस्त आराजी खातेदार शंकरलाल के खाते से आई है। शंकरलाल की मृत्युपरांत दिनांक 27.08.1998 को नामान्तरण दर्ज करते समय धापूबाई ने अपना सहदायिकी हिस्सा लेने से इंकार कर दिया था जिसके बाबत नामा.सं. 401 दर्ज हुआ जिसमें उल्लेख है कि धापूबाई ने अपना सहदायिकी हिस्सा नहीं लेने से सन 1998 से आज तक अपीलार्थीगण ही उक्त समस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.10.04 11:03:40 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना),
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

आराजियात को काश्त करते चले आ रहे है तथा अपना कब्जा बनाये हुये है। धापूबाई की आयु करीब 80 वर्ष थी जिससे चला फिरा नहीं जाता था , न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिडावा में वाद के लम्बन होने के दौरान सहदायिनी संपत्ति तथा अविभाजित सम्पत्ति को प्रत्यर्थी सं. 1 को वसीयत कर दी एवं उसी के अनुसरण में उक्त नामा.दर्ज किया गया।

खातेदार शंकरलाल के पुत्र व पुत्री आपस में संयुक्त कुटुम्ब में सहदायक बने रहे तथा शंकरलाल के मरने के बाद इस आराजी में धापूबाई ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से को सहदायक के रूप में कभी पृथक नहीं कराया है , न ही उसका इस आराजी पर कब्जा ही रहा है जिस कारण राजस्व अभिलेख में धापूबाई के नाम आराजी पृथक खाते दर्ज नहीं हो सकी।

धापूबाई का हिस्सा असके जीवनकाल में कभी भी उसके पूर्णहक के रूप में नहीं रहा है अर्थात उसका हक कभी भी एबसोलूट नहीं रहा है। कानूनन जब तक कोई व्यक्ति अपने हिस्से को अंतरित कराने की स्थिति में नहीं होता है तब तक उसके हक को एबसोलूट नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार धापूबाई का धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत एबसोलूट हक नहीं है जिस कारण इसी अधिनियम की धारा 15 के तहत धापूबाई को उसके पिता से प्राप्त सम्पत्ति का दान , अंतरण , वसीयत करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी बिना विधिक प्रकिया अपनाये वसीयत कर दी जिससे अपीलार्थी के वैधानिक हितो व अधिकारों को अपरिमित क्षति हुई है।

नामान्तरण ग्राम पंचायम की कोरम में नहीं खोला गया इस बाबत किसी भी प्रकार की पत्रावली का संधारण नहीं किया गया है एवं न ही कोरम के सदस्यों के हस्ताक्षर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के कब्जे के संबंध में कोई जांच नहीं की है।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत दीवलखेडा दिनांक 21.03.2017 नामा.सं. 1121 को अपास्त किया जावे। अपील के साथ अवधि अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र , ग्राम डावल के नामा.सं. 1121 की प्रमाणित प्रति पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडे[illegible] को [illegible]रिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर [illegible]केट श्री नील[illegible] त्रिवेदी ने वकालातनामा

COURT 2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.10.04 11:03:40 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

पेश कर माननीय सिविल न्यायालय पिडावा के वाद , जवाब दावा , वसीयतनामा दिनांक 22.12.2016 की छायाप्रतियां पेश की।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलांटस द्वारा RRT 2009(1) page 685-693 नजीर पेश की। वकील रेस्पोडेन्ट की ओर से माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दि. 22.09.2016 की प्रति पेश की।

पत्रावली ; उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड , दस्तावेज , न्यायिक नजीर व माननीय न्यायालय के पेश रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम मुडला की वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में दर्ज किये गये नामा.सं. 401 के सही अथवा गलत होने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2016 को पारित निर्णय एवं माननीय अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2016 में स्पष्ट विवेचना कर दी गई जिसके उपरांत खातेदार शंकरलाल की वादग्रस्त आराजी में धापूबाई का नाम दर्ज हुआ। अपीलांटस की ओर से इन्ही तथ्यों पर एक वाद दिनांक 20.10.2016 को माननीय सिविल न्यायालय पिडावा में दायर किया। धापूबाई पुत्री शंकरलाल ने दिनांक 22.12.2016 को ग्राम मुडला की वादग्रस्त आराजी में से अपना हिस्सा कृष्णाबाई पत्नि मुकेश कुमार पुत्री कन्हैयालाल (रिस्पोडेन्ट सं. 1) के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत किया जिसके आधार पर खातेदार धापूबाई की मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत दीवलखेडा द्वारा नामा सं. 1121 दिनांक 21.03.2017 को तस्दीक किया।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा नामा.सं. 1121 पर दिये गये आदेश दिनांक 21. 03.2017 में किसी प्रकार का विधिक व तथ्यात्मक दोष नहीं पाया जाता है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.10.04 11:03:40 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

Scanned with OKEN Scanner